भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1450
10 दिसंबर, 2021 को उत्तरार्थ

विषय:- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत शिकायतों का लम्बित रहना

1450. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समितियों के पास लम्बित शिकायतों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) चालू वर्ष में समितियों द्वारा कितनी शिकायतों का निवारण किया गया है;
(ग) क्या शिकायत निवारण समितियों के कामकाज के संबंध में किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समितियों को अभी भी कितने राज्यों में अधिसूचित किया जाना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख) : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत कार्यान्वित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ब्लॉक स्तरीय/जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समितियों को अधिसूचित करना और योजना के संशोधित/पुर्नोत्थान प्रचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार शिकायतों का निस्तारण करना आवश्यक होता है। चूंकि मामले की जांच और निस्तारण राज्य स्तर पर किया जाता है, इसलिए लंबित और निस्तारित गए शिकायतों से संबंधित सभी जानकारी संबंधित राज्य सरकारों के पास रहती है।

(ग) और (घ) : सरकार ने लाभार्थियों के बीच शिकायत निवारण तंत्र सहित योजना के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा करने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि वे योजना के तहत अपनी

शिकायतें उचित स्तर पर उठा सकें। सरकार ने पीएमएफबीवाई के बारे में जागरूकता के लिए पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया है। पीएमएफबीवाई के लिए संशोधित प्रचालन दिशा-निर्देशों, जो 1 अक्टूबर 2018 से लागू हुए, में अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया है कि बीमा कंपनियों को उनके द्वारा एकत्रित कुल सकल प्रीमियम की कम से कम 0.5% राशि सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के लिए अनिवार्य रूप से खर्च करना चाहिए। इसके अलावा, सरकार ने किसानों और पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के सदस्यों के बीच योजना के शिकायत निवारण तंत्र सहित प्रमुख विशेषताओं के प्रसार के लिए बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और सीएससी नेटवर्क को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों द्वारा की जा रही जागरूकता गतिविधियों का सक्रिय रूप से समर्थन किया है।

शिकायत निवारण समितियों (जीआरसी) पर अधिसूचना इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रकाशित की जाती है और किसानों तथा अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए आसपास के क्षेत्र में परिचालित और प्रदर्शित की जाती है। जीआरसी अधिसूचना की प्रतियां कार्यान्वयनकर्ता विभागों, संबंधित वित्तीय संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों, कॉमन सर्विस सेंटरों और बीमा कंपनियों के नोटिस बोर्ड में भी प्रदर्शित की जाती हैं।

(ङ): पीएमएफबीवाई कार्यान्वित करने वाले 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जीआरसी का गठन और अधिसूचित किया है और 4 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अभी जीआरसी का गठन किया जाना है। राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में है।

अनुबंध

जुलाई 2021 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएफबीवाई के लिए शिकायत निवारण समितियों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	एसजीआरसी	डीजीआरसी
1.	आंध्र प्रदेश*	हां	हां
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	नहीं	नहीं
3.	असम	हां	हां
4.	बिहार*	नहीं	नहीं
5.	छत्तीसगढ	हां	हां
6.	गोवा	हां	नहीं
7.	गुजरात*	हां	हां
8.	हरियाणा	हां	हां
9.	हिमाचल प्रदेश	हां	कुछ जिलों में अधिसूचित
10.	जम्मू और कश्मीर	नहीं	नहीं
11.	झारखंड*	हां	हां
12.	कर्नाटक	हां	हां
13.	केरल	हां	नहीं
14.	मध्य प्रदेश	हां	हां
15.	महाराष्ट्र	हां	हां
16.	मणिपुर	नहीं	नहीं
17.	मेघालय	हां	हां
18.	ओड़िशा	हां	हां
19.	पुदुचेरी	नहीं	हां
20.	राजस्थान	हां	हां
21.	सिक्किम	नहीं	नहीं
22.	तमिलनाडु	हां	हां
23.	तेलंगाना*	हां	हां
24.	त्रिपुरा	हां	हां
25.	उत्तराखंड	हां	हां
26.	उत्तर प्रदेश	हां	हां
27.	पश्चिम बंगाल*	नहीं	नहीं

*वर्तमान में पीएमएफबीवाई का कार्यान्वयन नहीं कर रहे।

*****